



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237463
CG-DL-E-23072022-237463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3190]
No. 3190]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का.आ. 3351(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-167 के कि.मी. 94 से कि.मी. 186 तक के निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ दो/चार लेन में उन्नयन आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-167 के कि.मी 94 से कि.मी 186 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉइंट कलेक्टर नंदयाल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH167K के कि.मी. 94 से 186 तक	आंध्र प्रदेश	नंदयाल	नंदयाल कोठापल्ली	1 बिल्लालापुरम 1 शिवपुरम

[F. No. RC.G1.1129/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2022

S.O. 3351(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk / Mandals and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (upgradation to 2/4 lane with paved shoulders etc.) maintenance management and operation from Km. 94 to Km. 186 of the National Highway No. 167K in the District of Nandyal in the State of Andhra Pradesh.

SCHEDULE

Land Acquisition on the National Highway No.167K from km. 94 to Km. 186 in the District of Nandyal in the State of Andhra Pradesh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Joint Collector Nandyal	94Km. To 186Km.	ANDHRA PRADESH	Nandyal	Nandyal Kothapalle	1 Billalapuram 1 Sivapuram

[F. No. RC.G1.1129/2021]

RAJESH GUPTA, Director